

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 101\*  
(जिसका उत्तर सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

खुदरा मंहगाई

\*101. श्री सुशील कुमार रिंकू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश की खुदरा मंहगाई में तेजी से वृद्धि हो रही है;
- (ख) यदि हां, तो वर्तमान दर पर मुद्रास्फीति का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में मुद्रास्फीति के स्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर  
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**"खुदरा मुद्रास्फीति" पर श्री सुशील कुमार रिंगू द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तरार्थ उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-अक्टूबर 2022 में 7.1 प्रतिशत के औसत से घटकर वर्ष 2023 की इसी अवधि में 5.4 प्रतिशत हो गई है। खुदरा मुद्रास्फीति अब स्थिर है और 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के अधिसूचित सह्य-सीमा के भीतर है। खुदरा मुद्रास्फीति से अस्थिर खाद्य पदार्थों और ईंधन वस्तुओं को हटाने के बाद अनुमानित मुख्य मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को कमजोर करने में महत्वपूर्ण रही है। कोर मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 के 5.1 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर 2023 में 4.3 प्रतिशत हो गई है।

(ग) और (घ): 2016 में मुद्रास्फीति सह्य-सीमा की अधिसूचना के बाद, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति ज्यादातर सह्य-सीमा के भीतर रही है। कुछ अवसरों पर मुद्रास्फीति में अस्थायी वृद्धि वैश्विक झटकों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से उत्पन्न मांग-आपूर्ति अंतर के कारण होती है। सरकार द्वारा आपूर्ति के संबंध में की गई कार्योंमुख पहल और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी मांग स्थिरीकरण उपायों ने मांग-आपूर्ति विसंगति का हल करने और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में मदद की है।

(ङ): मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में प्रमुख खाद्य पदार्थों के बफर स्टॉक को सुदृढ़ करना और समय-समय पर खुले बाजार में निर्मुक्त करना, व्यापार नीति उपायों के माध्यम से आवश्यक खाद्य पदार्थों के आयात को आसान बनाना, स्टॉक सीमा लगाने/संशोधन के माध्यम से जमाखोरी को रोकना, निर्दिष्ट खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति सरणीयन शामिल है। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया।

\*\*\*\*\*